19.2.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त कब्जे काश्त की राजस्व भूमि मौजा फाचरिया पटवार हल्का बादला तह0 शिवगंज में रकबा 2.3067 हैक्टयर भूमि आई हुई है। न्यायालय सहायक कलक्टर शिवगंज की आदेशिका दिनांक 23.02.2017 में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने का हवाला है लेकिन उक्त आदेशिका में मात्र वादी के ही हस्ताक्षर है जिसकी प्रकाश कुमावत नामक व्यक्ति द्वारा पहचान की गई है। तथा प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाकर राजीनामा की सहमति नहीं दी है। इस प्रकार इस प्रकरण में विधि अनुसार राजीनामा नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय के आदेशिका दिनांक 15.07.2017 को लोक अदालत धुबाणा में लिखी गई न्यायालय आदेशिका में दिनांक 23.02.2017 को पक्षकारों द्वारा राजीनामा करने की सहमति का हवाला देकर वाद को जरिये राजीनामा फैसल कर राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर इन्द्राज करने के निर्देश दिये जाकर पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया गया है। लेकिन उक्त कैम्प में भी पक्षकार उपस्थित नहीं थे। माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राज0 अजमेर द्वारा जोगाराम बनाम लक्ष्मी कंवर 2023 (2) आरआरटी पेज 247 में पारित निर्णय अनुसार लोक अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती जब तक पक्षकारों की सहमति से आदेश पारित नहीं किया हो। प्रस्तुत प्रकरण में भी पक्षकारों की सहमति संबंधी कोई इन्द्राज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इससे साबित है कि न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 15.07.2017 में विधि का लोप कर गलती से आदेश पारित किया है। जिसके संशोधन व विधि की प्रकिया अनुसार प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई करने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन कर उस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण सं0 150/2013 बअनवान विजेन्द्रकुमार बनाम मदनलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का निर्णय दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ध्रुबाणा में किया जा चुका है व प्रार्थी अधिवक्ता उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.07.2023 को लगभग 6 वर्ष पश्चात पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता रिव्यु में अपील का ग्राउन्ड लेकर आये है जबकि रिव्यु प्रार्थनापत्र में यह भी अवगत नहीं कराया है कि इतना विलम्ब क्यों हुआ और ना हि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा म्यूद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे उक्त प्रकरण [illegible] अधिनियम से भी बाधित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र [illegible]णीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:43 IST
Reason: SelfAttested